Journal of Advances in Social Science and Humanities

JASSH 5 (11), 1094-1104 (2019) ISSN (O) 2795-9481

कृषि कार्य में संलग्न ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सहभागिता का अध्ययन

(मध्यप्रदेश के धार जिले की धरमपुरी तहसील के विशेष संदर्भ में)

प्रमोद गिरी[1]
अमित कुमार[2]

सारांश–

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। जनसंख्या के एक बड़े भाग का अभी तक विकास नही पाया है। कृषि और कृषि आधारित ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ये महिलाएं उपेक्षित हैं। महिला खेतीहर मजदूरों की स्थिति गंभीर तो है ही दयनीय भी है। उन्हे पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी पर दिन–रात खेतों में काम करना पड़ता है। अनुमान के अनुसार अर्जित आय में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 25.7 प्रतिशत होता है।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण करते हुए ग्रामीण महिलाओं के रोजगार एवं जीविकोपार्जन में आने वाली समस्याओं तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभावों का अध्ययन किया गया है। साथ ही उनके पारिवारिक दायित्वों तथा आय में भागिदारी से उनके सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर महिलाओं के विकास हेतु सहायक विकल्पों को सुझावों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यबिन्दु– महिलाएं, कृषि, रोजगार, आय, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास आदि।

प्रस्तावना–

देश की आर्थिक प्रगति का आधार कृषि व्यवस्था ही रही है। आज कृषि पर ही सब कुछ निर्भर करता है। कृषि के कार्य में ग्रामीण महिलाओं का भी बहुत योगदान है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं कृषि एवं पशुपालन का कार्य करती हैं। महिलाऐं कृषि एवं पशुपालन के कार्य में संलग्न हैं। कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के कार्य के प्रति उनकी प्राथमिकता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की लगभग तीन चौथाई आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान करीब एक तिहाई है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और खेती महिलाओं की गतिविधि बनती जा रही है। सरकारी अनुमान के अनुसार देश में खेतीहर मजदूरी और स्वरोजगार में लगे लोगों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल महिला मजदूरों को 89.5 प्रतिशत खेती तथा इससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में लगा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार के अंतर्गत स्थिति काफी निम्न है। केवल 24.39 प्रतिशत महिलाएं रोजगार में है लेकिन वो भी मात्र खेती के काम मंलगी हुई है। साल में केवल 181 दिन ही कार्य के होते है। 60 प्रतिशत महिलाएं ऐसी है जो कोई कार्य नही करती है एवं आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर है। इन महिलाओं को घर के कामों में लगभग 11 घंटे व्यतीत करने पड़ते है। इस प्रकार ग्रीमण क्षेत्र में आर्थिक रूप से निम्न स्थिति के कारण महिलाएं न तो सही ढंग से आहार ग्रहण कर पाती है और न ही अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज पाती है।

[1] पीएच.डी., समाजकार्य, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, महू, जिला–इन्दौर, म.प्र.
[2] एम.फिल समाजकार्य, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, महू, जिला–इन्दौर, म,प्र,

भारतीय समाज में एक प्रकार का पुर्वाग्रह व्याप्त है कि महिलाएं तो आगे जाकर कार्य कर ही नहीं सकती हैं यही कारण है कि समुदाय के सदस्यों का सहयोग भी महिलाओं को प्राप्त नहीं होता है विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में सदस्यों द्वारा महिलाओं में जागरूकता पैदा की जा सकती है, लेकिन वे महिलाओं को कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रदान नही करते है। समुदाय का असहयोग भी महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। गरीबी के कारण महिलाएं अपने खान–पान पर उचित ध्यान नही दे पाती हैं। महिलाएं पोषण युक्त आहार नहीं ले पाती है। यही कारण है कि वे शारीरिक रूप से कमजोर रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण है जैसे पारम्परिक रीति–रिवाज, अंध विश्वास, प्रथाएँ संयुक्त परिवार आदि के कारण भी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति निम्न है। जनसंख्या के एक बड़े भाग का अभी तक विकास नही पाया है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत महिलाओंकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या 2 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह दुग्ध उत्पादन में 7.5 करोड़ महिलाओं और 1.5 करोड़ पुरूषों के संलग्न होने का अनुमान लगाया गया है। पशुधन प्रबंध और दुग्ध उत्पादन में लगी महिलाएं कई तरह के कार्य करती है। जिनमें पशुओं की देखभाल, उन्हे चराना, चारा जुटाना, जानवरों के तबेलों की सफाई, गोबर से खाद बनाना और दूध तथा पशु उत्पादों का प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।

वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों के संग्रहण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाएं मुख्य रूप से इमारती लकड़ी को छोड़कर अन्य वन्य उपज का संग्रह करती है। इसके अलावा कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक है एक अनुमान के अनुसार वनों पर आधारित लघु उद्योगों में महिलाओं की संख्या 51 प्रतिशत है टस्सर रेशम कीट पालने और लाख का उत्पादन करने के साथ–साथ वे टोकरियाँ, झाड़ू और रस्सी बनाने का काम भी करती है।

कृषि और कृषि आधारित ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ये महिलाएं उपेक्षित हैं। वे जो आमदनी पाती है, वह उनके द्वारा किए कार्य के समतुल्य नहीं होती। खेतीहर मजदूरों में भी महिलाओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है इसके एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत पार कर जाने का अनुमान है। मगर महिला खेतीहर मजदूरों की स्थिति गंभीर तो है ही दयनीय भी है। उन्हे पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी पर दिन–रात खेतों में काम करना पड़ता है। अनुमान के अनुसार अर्जित आय में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 25.7 प्रतिशत होता है।

धरमपुरी तहसील की कुल जनसंख्या 1,83,509 है इनमे से 93,373 पुरूष तथा 90,136 महिलाएं है। यहां की कुल ग्रामीण जनसंख्या 1,35,057 जिनमें से 68,333 पुरूष तथा 66,724 महिलाएं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 976 महिलाएं है। इस प्रकार यहां की महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा है। इन महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक समानता हेतु यह आवश्यक है कि आय तथा रोजगार के साधनों में भी इनकी समान रूप से भागीदारी हो। यहां की समाजिक व्यवस्था पितृ सत्तात्मक है सामान्यतः यहां की महिलाएं सामान्यतः संकीर्ण विचारो की होती है तथा इनमें शिक्षा का आभाव है केवल 49.9 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं ही साक्षर है। साक्षरता के आभाव में इनका निरंतर शोषण होता है। यहां की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है ग्रामीण महिलाएं भी कृषि कार्य मे समान रूप से सहभागी रहती है। प्रतिदिन मजदूरी मे महिलाओं तथा पुरूषों में असमानता व्याप्त है महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है।यहां ज्यादातर ग्रामीण महिलाऐं कृषि पर निर्भर रहती हैं तथा कृषि क्षेत्र से ही

अपनी रोजी–रोटी चलाती हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में जैसे बीज रोपन से फसलों के भंडारण तक महिलाओं का सीधा योगदान रहा है। इसके अलावा पशुपालन में पशुओं की देशभाल, बगवानी तथा घर की जिम्मेंदारी आदि सभी गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य भूमिका होती है।

कृषि कार्यों में जुड़ी महिलाओं को जीवन यापन का माध्यम कार्य है। महिलायें कृषि कार्यों में संलग्न रह कर संपूर्ण परिवार का जीवन निर्वाह कर रही है। खेती के कार्यों में जुताई, बुवाई, कटाई, सिंचाई जैसे इत्यादि कार्य कर रही है। इन्हीं कार्यों से जो मजदूरी प्राप्त होती है वो उनकी जीविका का आधार है। आर्थिक प्रगति का आधार कृषि व्यवस्था ही है। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संपन्न्ता और विपन्नता कृषि पर निर्भर है। गत कई दशकों से महिला कृषकों की संख्या घट रही है तथा महिला कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। स्पष्ट है कि उनका कृषि क्षेत्र में स्थान किसानों से बदल कर मजदूरों का हो रहा है। इसके पीछे कई सामाजिक कारणों की भूमिका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति उपर उठाने एवं उनहें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बताने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे है। किन्तु इन कार्यक्रमों की प्रक्रियाएँ काफी लम्बी होती है। महिलाओं को आवेदन करने से लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते है। महिलाओं को इस परेशानी के कारण अरूचि हो जाती है। इस कारण विकास कार्यक्रम सफल नही हो पाते। अधिकांश कार्यक्रमों में बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र भरना पड़ता है। कार्यालयों के कर्मचारी एक बार में कभी काम नही करते। कई बार तो छोटी–छोटी बातों के कारण आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाता है। इसके कारण महिलाओं में निराशा उत्पन्न हो जाती है। महिलाएं इन समस्याओं का सामाना करते हुए अपनी आजीविका चला रही है।

अध्ययन के उद्देश

1. अध्ययन क्षेत्र की महिलाओ की आय मे भागीदारी का अध्ययन करना।
2. कृषि कार्य मे अध्ययन क्षेत्र की महिलाओ की भागीदारी का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण कृषक महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की बदलती भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन म.प्र. के धार जिले के धरमपुरी तहसील के ग्रमीण क्षेत्रों में निवासरत उन महिलाओं को सम्मिलित किया गया जो कृषि कार्य में संलग्न है। यह कृषि का प्रमुख केन्द्र है यहां गेहूँ, सोयाबीन,ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें तथा कापस आदि प्रमुख फसलों के रूप मे होती है। यहां की जनता का रोजगार मुख्य रूप से कृषि आधारित व्यवसाय है।

जिला एवं विकासखण्ड में कृषि श्रमिकों की स्थिति–

धरमपुरी तहसील में कृषि श्रमिक	9,527	8,068	17,595
धार जिले मे कृषि श्रमिक	87,117	83,467	1,70,584

धार जिले कि सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार जिले में कुल कृषि श्रमिक 1,70,584 है जिनमें से 87,117 पुरूष एवं 83,467 महिलाएं है। जिले के इन श्रमिकों में यदि धरमपुरी के संदर्भ में देखा जाए तो जिला सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार 17,595 श्रमिकों मे से 9,527 पुरूष एवं 8,068 महिलाएं कृषि श्रमिक है। इन उत्तरदाताओं से तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूचि तैयार कि गई जिसमें कुल 53 प्रश्नों को

रखा गया इन प्रश्नों को तीन भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में उत्तरदाताओं कि सामान्य जानकारी दूसरे भाग में उनके कृषि कार्य से संबंधित जानकारी तथा तीसरे भाग में पशुपालन से संबंधित जानकारी को रखा गया। सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का प्रयोग धरमपुरी तहसील की कुल 50 महिलाओं के साक्षात्कार कर तथ्य संकलन किये गए तथा प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।

परिणाम

महिलाओं में कृषि एवं पशुपालन कार्य में दक्षता पाई जाती है वे कृषि संबंधित विभिन्न कार्यो में एक कुशल श्रमिक के रूप में कार्य करती है। किसी भी समाज की स्थिति का पाता इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां की महिलाओं में आत्मनिर्भता है अथवा नहीं। भारतीय ग्रामीण परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति अधिक विचारणीय हो जाती है क्योंकि भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं में कृषि एवं पशुपालन जैसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता पाई गई। लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता में कोई विशेष परिवर्तन हुआ। हमारे देश में महिलाएं–पुरूषों के साथ खेती–बाड़ी के विभिन्न प्रकार से काम करती है कृषि में उनकी महत्वपूर्ण योगदान का आंकलन करने के लिए कृषि से संबंधित कुछ सहायक गतिविधियों जैसे – पशुपालन, वानिकी आदि पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। कृषक महिलाओं की भूमिका तीन तरह की होती है प्रथम मजदूरी पर कार्य करने वाली महिलाएं द्वितीय अपनी जमींन पर बिना मजदूरी के काम करने वाली कृषक महिलाएं एवं तीसरी खेती–बाड़ी से संबंधित किसी खास काम की देख–रेख करने प्रबंधक श्रेणी की महिलाएं।

विवाहिक स्थिति

तालिका क्रमांक 1 में वैवाहिक स्थिति संबंधी विवरण प्राप्त दिया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि अविवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 18 है । विवाहित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 78 है । विधवा एवं तलाकशुदा उत्तरदाताओं का प्रतिशत 02 है। स्पष्ट है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत अधिक इसलिए है क्योंकि सामान्यतः पितृसत्तात्मक समाज के परिवारिक स्वरूप में महिला विवाह के पश्चात पति के घर रहती है और यही घर उसका वास्तविक घर माना जाता है, इसप्रकार अब उनका निवास स्थान वही रहेगा जहां पर वे रह रही है। उनको बीच में ही व्यवसाय या रोजगार छोड़कर कहीं जाना नही पड़ेगा। परिवार की सहमति के आधार पर वे सही ढ़ंग से व्यवसाय या रोजगार आरंभ कर सकती है। अविवाहित महिलाओं को मुख्य परेशानी इस ब ात की है कि वे व्यवसाय आरंभ करने के बाद पूर्ण रूप से उसमें लगी नही रह सकती है। क्योंकि विवाह होने के पश्चात् उन्हें दूसरी जगह जाना पडेगा। विधवा महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति उच्च करने के लिये व्यवसायिक क्षेत्र में आना पड़ा।

तालिका क्रमांक 1 वैवाहिक स्थिति का प्रतिशत

क्र	वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत
1.	अविवाहित	18
2.	विवाहित	78
3.	विधवा	02
4.	तलाकशुदा	02
कुल योग		**100.00**

भूमि स्वामित्व

शोध में वे महिलाएं सम्मिलित है जो कृषि कार्य में संलग्न है किंतु यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस भूमि पर वे कृषि कार्य करती है क्या वैधानिक रूप से भी यह भूमि उनकी स्वयं की भूमि है। सामान्यतः ग्रामीण समाज में परिवार एक इकाई के रूप मे कार्य करता है जिसके मुखिया के रूप में घर का वरिष्ठ पुरूष सदस्य को ही प्रथमिकता दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। तालिका के अनुसार केवल 36 प्रतिशत महिलाओं के पास ही भूमि स्वामित्व है। 44 प्रतिशत महिलाएं जिस भूमि पर कृषि करती है वह उनके पति के स्वामित्व वाली भूमि तथा 20 प्रतिशत महिलाएं वे है जो अपने पुत्र के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि कार्य कर रही है। इस प्रकार प्राप्त तथ्यों से यह विदित होता है कि महिलाएं जिस भूमि पर कृषि कर रही है उस भूमि पर अधिकांशतः उनके पति या पुत्र का स्वामित्व रहता है उनका स्वयं का नहीं।

तालिका क्रमांक 2 उत्तरदाताओं द्वारा की जा रही कृषि भूमि पर उनके स्वामित्व की स्थिति

क्र.स.	भूमि स्वामित्व	प्रतिशत
1.	स्वयं का	36
2.	पति का	44
3.	पुत्र का	20
4.	अन्य का	00
कुल योग		**100.00**

भूमि का आकार

महिलाएं जिस भूमि पर कृषि करती है उसके आकार से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई। तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि 32 प्रतिशत महिलाएं जिस भूमि पर कृषि करती है उसका आकार 1 एकड़ से भी कम है। 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कृषि भूमि पर का आकार 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक है। 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं की भूमि का आकार 2.5 से 5 एकड़ है तथा शेष 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा की जाने वाली कृषि जोत का आकार 5 एकड़ से 10 एकड़ के मध्य है। शोध में कोई भी उत्तरदाता ऐसे नहीं है जिनकी कृषि जोत का आकार 10 एकड़ से अधिक हो। प्रस्तुत तथ्य से स्पष्ट है कि ज्यादातर उत्तरदाता सीमांत कृषक की श्रेणी में आते है। उनकी जोत का आकार 5 एकड़ से कम ही है।

तालिका क्रमांक 3 उत्तरदाताओं की भूमि का आकार

क्र.स.	भूमि का आकार	प्रतिशत
1.	1 एकड़ से कम	32
2.	1 एकड़ से 2.5 एकड़	22
3.	2.5 एकड़ से 5 एकड़	30
4.	5 एकड़ से 10 एकड़	16
5.	10 एकड़ से अधिक	00
कुल योग		**100.00**

कृषि जोत का प्रकार

कृषि भूमि तभी पर्याप्त लाभदायक होती जब वहां सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो असिंचित भूमि में कृषि करना एक दुर्लभ कार्य है। प्रस्तुत सारणी में उत्तरदाताओं के द्वारा की जाने वाली कृषि जोत में सिंचाई की स्थिति को दर्शाया गया है। तालिका क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कृषि जोत सिंचित है तथा 26 प्रतिशत भूमि क्षेत्र अद्धसिंचित है। कोई भी क्षेत्र असिंचित नहीं है। शोध क्षेत्र से नर्मदा नदि निकलने के कारण यहां सिंचाई के जल की समस्या नहीं रहती है। यहां का जलस्तर वर्ष भर बना रहाता है।

तालिका क्रमांक 4 कृषि जोत का प्रकार

क्र.	कृषि जोत का प्रकार	प्रतिशत
1.	सिंचित	74
2.	असिंचित	00
3.	अद्ध सिंचित	26
4.	अन्य	00
कुल योग		**100.00**

फसलों की आवृत्ति

सामान्यतः कृषि भूमि पर वर्ष भर में एक से अधिक फसल प्राप्त की जाती है किंतु सिंचाई स्त्रोत के आधार पर किसी कृषि क्षेत्र में फसलों की आवृत्ति निश्चित होती है। तालिका क्रमांक 5 में उत्तरदाताओं से वर्ष भर में फसलों की आवृत्ति के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई है। तालिका से स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास द्विफसली भूमि है अर्थात उस क्षेत्र में वर्ष भर में दो फसलें प्राप्त की जा सकती है। 16 प्रतिशत उत्तरदाता वर्ष भर मे केवल एक ही फसल ले पाते है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता वर्ष भर में दो से अधिक फसल लेने मे सफल होते है।

तालिका क्रमांक 5 फसलों की आवृत्ति से संबंधित विवरण

क्र.स.	फसलों की आवृत्ति	प्रतिशत
1.	एक फसली	16
2.	द्विफसली	64
3.	बहूफसली	20
कुल योग		**100.00**

बीज की उपलब्धता

कृषि हेतु उत्तम बीज का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों उत्तम बीजों की उपलब्धता कम ही होती है। सामान्यतः कृषकों मे अच्छे बीजों की समझ होनी चाहिए महिलाओं में इन बीजो की परख होती है। वे अच्छे बीजो का चयन करती है। किन्तु बाजार से क्रय करने का कार्य उनको नहीं सोंपा जाता है। तालिका क्रमांक 6 में उत्तरदाताओं से बीज के चयन एवं उपलब्धता से सम्बन्धित जानकारी दी गई है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 42 प्रतिशत महिलाएं कृषि के लिये घरेलु बीज ही उपयोग मे लाती है। 26 प्रतिशत बाजार से उपलब्ध बीजों का उपयोग करती है। तथा शेष 32 प्रतिशत महिलाएं गाँव के अन्य कृषकों से प्राप्त बीजों का प्रयोग करती है।

तालिका क्रमांक 6 कृषि हेतु बीजों की उपलब्धता से संबंधित विवरण

क्र.स.	बीज की उपलब्धता	प्रतिशत
1.	घरेलु	42
2.	बाजार से उपलब्ध	26
3.	गाँव के अन्य कृषकों से प्राप्त	32
कुल योग		**100.00**

कृषि विपणन एवं वित्त प्रबंध

कृषि मे सबसे महत्वपुर्ण कार्य फसलों को बेचना एवं वित्तीय प्रबंधन करना होता है। सामान्यतौर पर गांवो मे यह पुरूषों का कार्य माना जाता है। किंतु जो महिलाएं अपने श्रम से कृषि उपज को उगाती एवं सिंचित करती है उनको उसके वित्तप्रबंधन मे भी समान हिस्सेदारी मिलना चाहिये। तालिका क्रमांक 7 मे कृषि कार्य के वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में तथ्य दिये गए है। तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल 28 प्रतिशत महिलाएं ही कृषि कार्य में विपणन एवं प्रबंधन का कार्य स्वयं करती है, जबकि 40 प्रतिशत महिलाओं के पति कृषि हेतु विपणन एवं वित्तप्रबंधन करते है शेष 32 प्रतिशत महिलाओं के पुत्र उनकी कृषि के लिये वित्तीय प्रबंधन का कार्य करते है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महिलाओं से कृषि कार्य मे श्रम तो पुर्ण रूप से लिया जा रहा है किन्तु उन्हें फसलें बेचने एवं अन्य आर्थिक अधिकार नहीं दिये गए है।

तालिका क्रमांक 7 कृषि हेतु विपधन प्रबंधन

क्र.स.	कर्ता का नाम	प्रतिशत
1.	स्वयं द्वारा	28
2.	पति द्वारा	40
3.	पुत्र द्वारा	32
4.	अन्य	00
कुल योग		**100.00**

बैंक अकाउंट

ग्रामीण महिलाओं की पहुँच बैंको तक नहीं होने के कारण उन्हें कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान में केवल वित्तीय लेन–देन या बचत ही नहीं अपितु शासन कि योजनाओं का लाभ लेने के लिये भी बैंक खाता अनिवार्य है। प्रस्तुत तालिका मे उत्तरदाताओं के बैंक खातो के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की गई है। प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत महिलाओं का बैंक मे खाता है तथा शेष 52 प्रतिशत महिलाओं का बैंक मे खाता नहीं है। बैंक खाते के आभाव मे इन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से जागरूक बनाने के लिये इनके बैंक मे लेन–देन के लिये प्रशिक्षित करना होगा। जिससे ये अपने धन की बचत कर सकें तथा पैसे को सुरक्षित रख सके।

तालिका क्रमांक 8 बैंक अकाउंट संबंधित विवरण

क्र.स.	बैंक खाता	प्रतिशत
1.	है	48
2.	नहीं	52
कुल योग		**100.00**

उत्पादन की स्थिति एवं कमी के कारण

प्रस्तुत तालिका में पिछले वर्ष की तुलना मे उत्पादन की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई है। तालिका क्रमांक 9 से स्पष्ट है कि केवल 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष से अधिक हुआ 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं के कृषि उत्पादन मे कमी आई तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि उनके उत्पादन की मात्रा मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकतम महिलाओं के कृषि उत्पादन की मात्रा मे कमी आई है। शोध के अंतर्गत उत्पादन मे आई कमी के कारण को जानने का भी प्रयास किय गया। जो अगली तालिका क्रमांक 10 मे देखा जा सकता है।

शोध के दौरान उत्तरदाताओं के कृषि उपज मे आई कमी के कारण को जानने के लिये उत्तरदाओं से जानकारी ली गई। इसके अंतर्गत उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि यदि उनके कृषि उत्पादन मे किसी प्रकार की कमी से हानि होती है या फसल खराब होती है तो वे अपने उत्पादन मे कमी का सर्वाधिक उत्तरदायी कारण किसे मानते है। तालिका क्रमांक 10 से स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत कृषक महिलाएं फसल खराब होने के कारक के रूप में सिंचाई के साधनों या वर्षा के आभाव को अधिक प्रभावित मानती है। 24 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी फसल की कमी के कारक के रूप में उर्वरकों के आभाव को मानती है। सर्वाधिक 54 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि उनके पास पर्याप्त कृषि भूमि नहीं होने के कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता।

तलिका क्रमांक 9 पिछले एक वर्ष में उत्पादन की स्थिति

क्र.स.	उत्पादन की स्थिति	प्रतिशत
1.	वृद्धि हुई	34
2.	कमी आई	52
3.	यथावत रही	14
कुल योग		**100.00**

तालिका क्रमांक 10 यदि उत्पादन में कमी आती है तो कमी के कारण को दशाने वाली तालिका

क्र.स.	कारक	प्रतिशत
1.	सिंचाई के साधन का आभाव	10
2.	उर्वरक का आभाव	24
3.	पर्याप्त कृषि भूमि का आभाव	54
4.	श्रम उपलब्ध न होना	12
कुल योग		**100.00**

ऋण संबंधित जानकारी प्रदाता संस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता एक गंभीर समस्या है। शोध के दौरान ग्रामीण महिलाओ की ऋणग्रस्तता से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई। तालिका क्रमांक 11 से स्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत महिलाओं ने दूसरों से ऋण लिया हुआ है तथा शेष 6 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी है जिन पर वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का ऋण नहीं है। इससे स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं मे भी ऋणग्रस्तता की समस्या गंभीर रूप से व्याप्त है। यह वर्तमान समय की एक बड़ी चुनौति है। शोध के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि महिलाओं ने यह ऋण किस संस्था से प्राप्त किया।

तालिका क्रमांक 12 में ऋणग्रस्त महिलाओं को ऋण देने वाली संस्था के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गई। तालिका में स्पष्ट है कि 28 प्रतिशत महिलाओं ने बैंक से ऋण लिया है, 34 प्रतिशत महिलाओं ने सहकारी समिति से ऋण प्राप्त किया है। 21 प्रतिशत महिलाओं को ऋण प्राप्त करने के लिये साहुकारों वर्ग का सहारा लेना पड़ा तथा शेष 17 प्रतिशत महिलाओं ने अपने किसी रिश्तेदार या निकटतम मित्र से ऋण प्राप्त किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारीता का प्रसार हो रहा है किंतु वर्तमान में भी महिलाएं ऋण लेने के लिये सेठ–साहुकारें के चंगुल में फंस रही है, यह एक चिंता का विषय है।

तालिका क्रमांक 11 ऋण संबंधित जानकारी

क्र.स.	ऋण	प्रतिशत
1.	लिया है	94
2.	नहीं लिया	06
कुल योग		**100.00**

तालिका क्रमांक 12 ऋण देने वाली संस्था की जानकारी

क्र.स.	संस्था या व्यक्ति	प्रतिशत
1.	बैंक	28
2.	सहकारी समिति	34
3.	सहुकार	21
4.	रिश्तेदार/मित्र	17
कुल योग		**100.00**

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत विवरण से ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता में कृषि एक उत्तम व्यवसाय के रूप सिद्ध हो रहा है प्राचीन काल से ही कृषि कार्य में महिलाओं का पुरूषों के समान ही योगदान रहा है। वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं ने कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों में निपुणत प्राप्त कर ली है। वे अपने क्षेत्र में कृषि संबंधित सभी कार्य सम्पन्न करती है, साल में दो या दो से अधिक फसलें लेती है उत्तम बीजों का उपयोग करती है। लेकिन शोध में प्राप्त हुआ कि इन महिलाओं के आर्थिक विकास में कई तत्व बाधक बने हुए है जैसे कृषि भूमि का छोटा आकार, भूमि पर स्वयं का स्वामित्व न होना, समाज कि पुरूष प्रधान मानसिकता आदि। शोध में यह भी पाया गया कि महिलाओं ने कृषि कार्य के लिए ऋण भी लिया है एवं उन्होंने यह ऋण बैंको या सहकारी समिति से प्राप्त किया है इससे यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएं साहूकारों या व्याजखोरों के कुचक्र से धीरे–धीरे बाहर निकल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष प्रधान मानसिकता के कारण विपणन एवं प्रबंधन का अधिकार परिवार के पुरूष सदस्यों के हाथ में ही होता है जो इन कृषक महिलाओं के विकास में बाधक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार पुरूष प्रधान समाज में उन्हे अपना अस्तित्व स्थापित करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वे अपने सामाजिक–आर्थिक उत्तरदायित्व को भली–भांति वहन कर रही है।

अध्ययन के निष्कषों को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

- ग्रामीण महिलाएं कृषि में नई–नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे कृषि में नविन तकनीकों के प्रयोग में सक्षम बनें तथा कृषि को लाभप्रद बनाने मे सहायक नए उपकरणों के प्रयोग की समझ सकें। अतः महिलाओं को आधुनिक कृषि करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है।
- महिलाओं को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । अतः उन्हें बिना कम ब्याज पर आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम चलाया जाय। तथा उनमें बचत की प्रवृत्ति को बढावा दिया जाये।
- ग्रामीण महिलाओं को जनसंचार के साधनों के उपयोग को बढावा देना चाहिए ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।
- महिलाओं को कम ब्याज पर अधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे श्रम एवं समय की बचत कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ

- आहूजा, राय. (2000). भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- दास, हरसरण. (2000). कृषि अर्थव्यस्था, राम पब्लिशर्स हाउस बोर्ड उत्तरप्रदेश।
- शर्मा, प्रज्ञा. (2001). वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति, पोइंटर पब्लिकेशन, जयपुर।
- पंत, के.सी. (2001). पलानिंग फॉर एग्रीकल्चर चेलेंजेस एण्ड अपार्च्युटी इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेंच्युरी, राज कपिला एवं उमा कपिला सम्पादन, इण्डियाज इकानॉमी इन ट्वेन्टी फर्स्ट सेंच्युरी एकेडमिक फाऊण्डेशन, गाजियाबाद।
- रंजन, जय. (2003). महिलाओं में जगरूकता, योजना, समाजकल्याण विभाग. भारत सरकार।
- Lata vidya. (2004) “developiung Rural women”, Discovery Publishing House.
- Narayan S.(2005).“Rural Development through women Programme”, Inter India Publications.
- राज, कुमार. (2008). भारतीय नारी सामाजिक अध्ययन. अर्जून पब्लिशिंग हाउस पृ.स. 4–5
- World Bank. (2008), World Development Report: Agriculture for Development in a Changing World, Washington, D.C.: World Bank
- सूद, राजकुमार (2009), नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- Arshadn, S. (2010). Rural Women’s Involvment in Decision Making. Livestock Management, Journal of Agriculture- Vol.47(2)
- वार्षिक रिपोर्ट, (2010–11). ‘‘कृषि संगणना’’, कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
- *http:/ www.census.co.in.2011 surfing dt 22/02/2017*
- Patil, S.B. (2011). The constraints in empowerment of rural women. Agriculture Update; Vol. 6(3/4), pp.142-145

- Das, S.K. (2012), Socio-Economic Empowerment of Women through SHG-Banking Linkage Programme. A Boon for Development, International Journal of Management & Business Studies, Vol. 2(1), pp. 39-46
- Gondaliya, R. H., Patel.J.K., (2012).Extend of Participation on of Formal Women in Decision making process in relation to agricultural activities. International Journal of Agricultural Sciences, 2012, 8(2): pp 547-548
- रैडिकल, एम.एल.गुप्ता एंव डी.डी.शर्मा, (2014). भारत मे महिलाओं की स्थिति, साहित्य भवन, सी 17, साइट–सी सिकन्दरा, औद्योगिक क्षेत्र आगरा– 282007 (उ.प्र.)।
- N.V., Kavitha, and N. Vimal Rajkumar, (2016). Decision Making Behavior of Farm Women in Dairy Farming Activities. International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 5.
- गुप्ता, एस., मिथिलेश एवं बसुन्धरा (2017).ग्रामीण महिलाओं की आय में भागीदारी, रिसर्च लिंक, इंदौर म.प्र., Vol. – XVI(4), ISSN- 0973 1628 pp. 121-123.
- सिंह, स्वाति., मिथिलेश, संगीता गुप्ता (2017)., कृषि निर्णयन एवं प्रबंधन मे महिलाओं की भूमिका. रिसर्च लिंक, इंदौर म.प्र., Vol. – XVI(4), ISSN- 0973 1628 pp. 128-130.
- Neeta Multani, Neeta., Dr.A.N. Sandhvi (2017). Women Workers in Agriculture Sector, IRA, International Journal of Management and Social Sciences, ISSN 24552267. Vol. 06, pp. 24-30.